राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/6049 दिनांक : 16.12.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः–पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतदान की स्थिति में मतगणना हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय IV के नियम 49 में पंच पद की मतगणना से संबंधित उपबंध दिए गए है तथा इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतगणना हेतु अध्याय IV–क के नियम 49–डी में पंच पद के चुनाव के लिए प्रावधान विहित किए हुए है। पंच पद के उक्त प्रावधान नियम 58(5) के अन्तर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू किए गए है।

पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतदान होने की स्थिति में उक्त प्रावधानों की पालना एवं मतगणना कार्य के सफल संचालन के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. **सामान्य किन्तु ध्यान देने योग्य बिन्दु :–**

   1. मतगणना निर्वाचन प्रकिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए आपको मतगणना का कार्य अत्यधिक सर्तकता से करना है।
   2. वोटिग मशीन से मतदान होने पर मतगणना मतदान केन्द्रवार (बूथवार) होती है। मतगणना दोष–रहित हो और निर्वाचन के परिणाम के बारे में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के मन में कोई भ्रम नहीं रहे, इसके लिये प्रकिया की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और व्यवस्था सही रखी जाये।
   3. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) की सिंगल पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम (M-2, MK-4, MK-5 Model) से निर्वाचन की स्थिति में दोनों पदों के लिए कन्ट्रोल एवं बैलेट यूनिटें पृथक–पृथक होगीं। अतः मतगणना कार्य पृथक–पृथक कक्षों में कराया जाएग। वहीं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम से निर्वाचन होने पर कन्ट्रोल यूनिट एक ही होगी, अतः ऐसी स्थिति में अध्यक्षीय एवं सदस्य दोनों पदों के लिए मतगणना कार्य एक ही कक्ष में कराया जाएगा।
   4. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) की सिंगल पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम (M-2, MK-4, MK-5 Model) से निर्वाचन की स्थिति में जिला परिषद् सदस्य के लिये प्रयोग की गई कन्ट्रोल यूनिट एवं उसके कैरिंग बक्से पर **पीला** स्टिकर लगा होगा व पंचायत समिति सदस्य चुनाव वाली यूनिट पर **नीले** रंग का स्टीकर लगा होगा। इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम से जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य दोनों पदों के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में कन्ट्रोल यूनिट एक ही होगी, इसलिए उक्त कन्ट्रोल यूनिट पर स्टीकर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु यदि उक्त कन्ट्रोल यूनिट सिर्फ जिला परिषद सदस्य अथवा पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन अर्थात् एक ही पद हेतु उपयोग में लाई जाती है तो सिंगल पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की तरह इन कन्ट्रोल यूनिटों पर भी यथा स्थिति स्टीकर लगायें जाएगें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

2. कानूनी प्रावधानः–

1. ऐसे निर्वाचनों, जहॉ मतदान मशीने प्रयुक्त की जाती है, में मशीनों के परिवहन व सुरक्षित अभिरक्षा तथा मतगणना सम्बन्धी कानूनी प्रावधान राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 49–क, 51, 54, 55–क, 47–घ, 49–ग, 49–घ, 50–क, 52–क एवं 53–क में बताये गये है। नियम 58 के अनुसार पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में उक्त नियम यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू किए गये है। निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता की नियुक्ति संबधी प्रावधान अध्याय–10 में बताये गये हैं। निर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाने संबंधी प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 24 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 एवं 76 में बताये गये है। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की गणना के लिये आदेश कमांक 5776 दिनांक 05.12.2019 (सां. आ. 135/2019) के अनुसार रीति विहित की है।

2. उक्त कानूनी प्रावधानों में मतगणना के समय और स्थान, गणना के लिये नियत स्थान में प्रवेश, डाक मतपत्रों की गणना, मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने, लगातार गणना, नये मतदान के पश्चात गणना के पुनरारम्भ, मतों की पुनर्गणना, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा और निर्वाचित अभ्यर्थी को शपथ दिलाने, मतदान मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की वास्तविक गणना करने और गणना के पश्चात् मशीनों एवं निर्वाचन कागजात को सील करने के लिए भी प्रक्रिया बताई गई है।

3. **मतगणना की तारीख, स्थान और समयः–**

1. आयोग के द्वारा घोषित मतगणना कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, मतगणना की तारीख और समय रिटर्निंग अधिकारी को नियम 49–घ के अन्तर्गत नियत करनी है।

2. मतों की गणना जिला मुख्यालय पर ही की जायेगी, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देश पर रिटर्निंग अधिकारी को स्थान निर्धारित करना है।

3. मतों की गणना, यथासंभव एक ही भवन में की जाये। जिन जिलों में पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र तथा मतदान बूथ अधिक है, वहां जिला निर्वाचन अधिकारी दो भवनों का भी चयन कर सकते है, लेकिन प्रयास यह रहे कि भवन पास–पास हो। जिला परिषद् सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना पृथक–पृथक हॉल/कक्ष में की जाये। यदि हॉल बडा है तो उसे एक से अधिक कक्षों में अस्थाई पार्टीसन से विभाजित कर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना भी की जा सकती है। यथासंभव प्रत्येक कक्ष का प्रभारी उपलब्धता के अनुसार पृथक सहायक रिटर्निंग अधिकारी हो।

4. गणना की तारीख, समय और स्थान के संबंध में आपको प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में सूचना देनी होगी। यह सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मतदान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिये। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस प्रकार नियत तथा अभ्यर्थियों को सूचित की गयी तारीख या समय या स्थान में परिवर्तन होता है तो आपको ऐसे परिवर्तन की सूचना पुनः प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में देनी चाहिए।

5. यह आवश्यक है कि मतगणना हॉल पर्याप्त बडे हो जिसमें आपके लिए कार्मिकों, अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान हो। वहां पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतों की गणना अस्थायी ढाचें में नहीं की जानी चाहिए। मतगणना भवन के परिसर में सुरक्षा की दोहरी व पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि परिसर में भीड–भाड भी न हो।